न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 07 / 2022

अनवान : –

1. हेमराज पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–सायल

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. सतवीर पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. राजबाला पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–गैरसायल

4. कनीराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. पूर्णमल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. सत्यनारायण पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 21/12/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि सायल व गैरसायल 4 ता 6 की खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 13 एनअीआर तहसील नोहर के खाता स0 15 / 19 के प0न0 378 / 425(77) के किला न0 25 प0न0 378 / 426 (86) किला न0 4 ता 7, 14, 15 प0न0 379 / 425(78) के किला न0 21 ता 23 प0न0 379 / 426(85) के किला न0 1 ता 3 व 8 ता 13 की कुल 4.8070है0 भूमि इसी चक में सायल के चिपते हुए गैरसायल की भूमि खाता स0 23 / 102 के प0न0 379 / 425(78) के किला न0 4 ता 20, 24 व प0न0 379 / 426(85) के किला न0 5 ता 7, 14, 15 की कुल 6.0720है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

सायल हमेशा ही अपने खेत मन्जूरशुदा रास्ता से होकर गैरसायल के खेत में प0न0 379 / 426(85) किला न0 14, 15 के दक्षिण दिशा में से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता सायल के लिए सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई भी रास्ता सायल की खातेदारी में प्रवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं है। सायल का खेत मन्जूरशुदा रास्ता से 2 बीघा की दूरी पर स्थित है। सायल अप्रार्थीगण के मुरब्बा नं0 85 के किला न0 14, 15 में दक्षिण दिशा में से आवागमन करता है लेकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड में नही होने के कारण गैरसायल हमेशा रास्ता बंद करने की धमकी देते रहते है यदि रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बंद कर दिया तो सायल की खड़ी फसल बर्बाद हो जायेगी तथा लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा इसलिए उक्त रास्ता मंजूर किया जावें तथा बदले में सायल अपनी खातेदार भूमि जो गैरसायालन के चिपते है में से 2 बिस्वा भूमि देने के लिए तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक न0 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 23/102 के प0न0 379/426(85) के किला न0 14 व 15 के दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावें बदले में सायल के खाते में से गैरसायल के चिपते हुए 2 बिस्वा भूमि गैरसायल को दे दी जावें।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न तो अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 स्वयं उपस्थित हुए और नही उनकी और से कोई विधिक पेरोकार उपस्थित हुआ। बार बार आवाज लगाई गई लेकिन अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ अतः अप्रार्थीगण स0 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम के प्रावधानान्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) नोहर से मौका एवं जांच रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार रामगढ़ के पत्र कमांक 02 दिनांक 02.01.2023 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें हेमराज, पूर्णमल, कृष्ण कुमार, सतवीर, सत्यनारायण प्रार्थी एवं अप्रार्थी के हस्ताक्षर है तथा मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। प0न0 379/426 में मु0न0 85 किला न0 14 की .013है0, 15 की .013है0 कुल .026है0 दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम के अलावा वर्तमान में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी प्रतिकर की रकम पर सहमत नही है परन्तु जमीन के बदले जमीन लेने पर सहमत है। रास्ते के बदले प0न0 379/426 के मु0न0 85 के किला न0 3 की 0.0086, 8 की 0.0086, 13 की 0.0086 कुल 0.0258 भूमि उत्तर दक्षिण में पूर्व चिपती हुई भूमि देने की शर्त पर रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है।

बहस अभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) में प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव
3. नया मार्ग निकटतम/लघुतक रूट से हो

नायब तहसीलदार रामगढ़ के मौका रिपोर्ट तथा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार रामगढ़ प्रार्थी के लिए रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता एवं प्रार्थी के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव भी है। अतः रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और वैकल्पिक रास्ते के अभाव में मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 23/102 के प0न0 379/426(85) के किला न0 14 व 15 के दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम में 1–1 बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें तथा प0न0 379/426(85) के किला न0 3 की 0.0086है0, 8 की 0.0086है0, 13 की 0.0086है0 कुल 0.258है0 उत्तर से दक्षिण दिशा में पूर्वी साईड में अप्रार्थीगण के चिपती हुयी भूमि में प्रार्थी का नाम कलमजन किया जाकर गैरसायल स0 1 ता 3 के नाम ब.हि.ब. राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 21/12/23............ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested